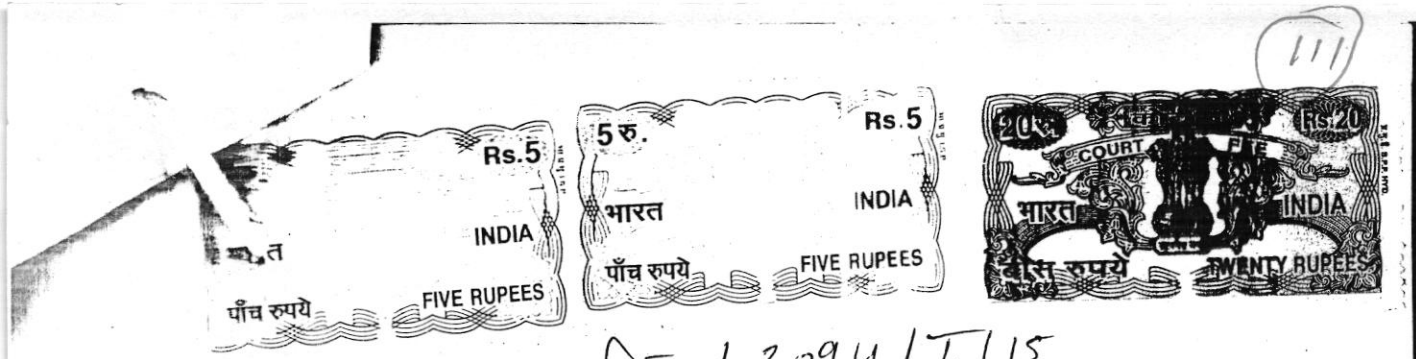

Rs.5 INDIA भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20 रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

111

नि॰/3094/I/15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१५ निगरानी

बब्लू उर्फ विमल सोनी पुत्र हजारीलाल सोनी, निवासी- ग्राम दुर्जनपुरा, तहसील व जिला विदिशा-मध्यप्रदेश ।

------ प्रार्थी

दिनांक 11-9-15 को श्री ... अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत 11-9-15

बिराध्द

१- जरीना वी पत्नी अब्दुल मजीद, निवासिन- मोहल्ला- मुगलटोला, तहसील व जिला विदिशा-मध्यप्रदेश ।

२- मध्यप्रदेश शासन ।

------ प्रतिप्रार्थीo

निगरानी बिराध्द आदेश तहसीलदार महोदय विदिशा दिनांकी १८-०६-१५ अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्रकरण क्रमांक ५७।१४-१५-ए-१२.

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है।

शाखा प्रभारी (रा.मं.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

२- यह कि, तहसीलदार महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, वर्तमान प्रकरण में धारा १२९ के प्रावधानों एवं नियमों का पालन नहीं किया गया है ।

४- यह कि, प्रकरण में विधिवत जांच नहीं की गई है ।

५- यह कि, विवादित भूमि के समीपस्थ कृषक होने के कारण प्रार्थी

(11)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3094-एक/15 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	